

न्यायालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर एवं जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/54/2021

अपीलार्थी:-

श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र स्व० दुलीचन्द
शर्मा निवासी मकान नं० ए-810 मंगलम
ग्रान्ड सिटी पिक पर्ल वाटर पार्क के
सामने, अजमेर रोड महापुरा जयपुर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर
विकास न्यास, अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

दिनांक:-04.05.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 21.01.21 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.04.2021 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उप० नहीं।
5. पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर को कार्यालय के पत्रांक 621 दिनांक 25.03.21, एवं 824 दिनांक 20.04.21 से जवाब /वांछित सूचना उपलब्ध करने हेतु लिखा गया था, किन्तु वांछित जवाब/सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियम समय अवधि में किया जावे, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना निः शुल्क उपलब्ध करावे। अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 04.05.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।



(नन्नूमल पहाडिया)

जिला विकास अधिकारी विकास न्यास
अलवर (राजस्थान) जिला कलेक्टर, अलवर